# प्राईमरी/मिनिमल प्रोसेसिंग यूनिट

उद्यानिक उत्पादों का मूल्यबर्द्धन एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है। अतएव एम. आई. डी. एच. के तहत् प्राथमिक/अतिसुक्ष्म प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का प्रावधान है, जबकि मध्यम एवं वृहद्ध प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का कार्यक्रम Ministry of Food Processing Industries (MFPI) के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है।

| | | |
|---|---|---|
| अनुमानित लागत | – | ₹ 25.00 लाख |
| समन्वित उद्यानिक विकाश मिशन द्वारा अनुदान 40% | – | ₹ 10.00 लाख |
| राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त अनुदान 10% | – | ₹ 2.50 लाख |
| कुल सहायतानुदान की राशि 50% | – | ₹ 12.50 लाख |
| लाभार्थी द्वारा शेष राशि | – | ₹ 12.50 लाख |
| कुल | – | ₹ 25.00 लाख |

1. समन्वित उद्यानिक विकास मिशन में इस योजना के लिए क्रेडिट लिंक्ड बैक इण्डेड अनुदान का प्रावधान है अतः बैंक द्वारा ऋण के पश्चात ही स्थापना का कार्य लाभार्थी प्रारंभ करेंगे।
2. परियोजना लागत में जमीन की कीमत कुल परियोजना राशि का शहरी क्षेत्र हेतु 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 15 प्रतिशत तक सीमित होगा।
3. परियोजना प्रस्ताव की अनुशंसा के पूर्व सहायक निदेशक उद्यान स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे कि प्रस्तावित जमीन (खेसरा) पर पूर्व में कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया है।
4. स्थापित किये जाने वाले प्राथमिक/अतिसुक्ष्म प्रसंस्करण इकाई तक पहुँच पथ की चौड़ाई 20′ से कम नहीं होनी चाहिए।
5. इस अवयव हेतु अपनी जमीन होनी चाहिए तथा जमीन का क्षेत्रफल न्यूनतम 900–1000 वर्गमीटर होगी।
6. प्राथमिक/अतिसुक्ष्म प्रसंस्करण इकाई में उद्यानिक फसलों के अतिरिक्त खाद्य फसलों का भी प्रसंस्करण किया जा सकता है। इसके लिए बाट सहित तौल मापी काँटे तराजू की व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा।
7. 30 साल से कम रजिस्टर्ड लीज की जमीन पर योजना का लाभ देय नहीं होगा।